समाचार–प्रकाशनार्थ :–

# निगम से संबंधित कार्य नागरिक घर बैठे–बैठे करा सकेंगे नगर निगम तैयार कर रहा है मोबाईल एप ''रतलाम 311''

रतलाम 17 दिसम्बर । नगर निगम से संबंधित कार्य नगर के नागरिक घर बैठे कर कर सके इस हेतु नगर निगम रतलाम इंदौर सहित अन्य शहरों की तरह मोबाईल एप ''रतलाम 311'' शीघ्र तैयार करने जा रहा है जिसका प्रेजेन्टशन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में निगम अधिकारियों को सिविल सोल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड के श्री अनिकेत चौहान ने दिया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिक निगम रतलाम इंदौर सहित अन्य बड़े शहरों की तरह नगर पालिका निगम रतलाम मोबाईल एप ''रतलाम 311'' तैयार करने जा रहा है जो नगर वासियों को निगम के साथ संवाद स्थापित करने में मदद करेगा एवं निगम के कार्यों को सुगमता से संचालित करने हेतु एक माध्यम बनकर नगर वासियों को सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मददगार साबित होगा।

इस ऐप के माध्यम से हम शहर में आ रही समस्या जैसे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित, उद्यान विभाग से संबंधित ,कचरा गाड़ी से संबंधित आदि शिकायतों को विभाग के अधिकारियों को घर बैठे अवगत करा सकते हैं ताकि अधिकारी जल्द से जल्द समस्या का निराकरण कर सके । इस एप में अन्य सुविधाएं जैसे जलकर, संपत्तिकर, जन्म प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र सहित निगम से संबंधित अन्य सेवाऐं रहेगी जिसका कमाण्ड सेंटर सिविक सेन्टर स्थित एसबीएम सेल में बनाया जायेगा। नागरिक एप के माध्यम से अपने घर से ही निगम से संबंधित करो की राशि जमा करा सकेंगे। एप के माध्यम से जहां एक ओर निगम के कार्यो को गति मिलेगी वहीं नागरिकों को सुविधा होकर निगम के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

# 80 अधिकारी/कर्मचारी हुए वायरलैस वॉकी–टॉकी से लैस निगम के कार्यो को मिलेगी गति

नगर निगम के कार्यो को ओर अधिक गति दिये जाने के उद्‌देश्य से नगर निगम द्वारा एस टेली कम्पनी के क्रय किये गये 80 वॉयर लैस वॉकी–टॉकी निगम आयक्त श्री सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में निगम के 80 मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिये गये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा 80 वॉयरलैस वॉकी–टॉकी मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों आज प्रदान किये गये है इससे एक ही समय में बात की जा सकती है। क्रय किये गये वॉयरलैस वॉकी–टॉकी पुर भारत में संचालित हो सकेगा व कहीं से भी बात कर सकेगा जिससे निगम के कार्यो को ओर अधिक गति मिलेगी।

उक्त अवसरों पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, श्री अरविन्द दशोत्तर, श्री एस.पी. आचार्य, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पी. सिंह, उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, मनीष तिवारी, श्रीमती अनिता ठाकुर, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, सहायक वर्ग–2 श्री बी.एल. चौधरी, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान आदि उपस्थित थे।

# *निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई कार्य का निरीक्षण*
# *स्वच्छंद विचरण करने वाली 3 भैंसे जब्त*
# *भैंस मालिक पर 10 हजार का किया जुर्माना*

रतलाम 17 दिसम्बर । नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल के साथ किया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सर्वप्रथम अलकापुरी क्षेत्र के सफाई कार्य का निरीक्षण कर कचरा संग्रहण वाहना के चालकों व हैल्पर को नागरिकों से सेग्रीगेटेट कचरा लिये जाने के निर्देश दिये। इसके पश्चात उन्होने बरबड़ रोड, नयागांव, विनोबा नगर, ग्लोबस सिटी आदि क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। विनोबा नगर के निरीक्षण के दौरान जवाहर नगर मुक्तिधाम के पीछे कचरा पाये जाने पर निर्देशित किया कि यहां पर जिस–जिस वार्ड का कचरा आता है उस वार्ड के प्रभारो का एक दिवस का वेतन काटा जाये तथा कचरा उठवाया जाकर भविष्य में यहां कचरा ना डले इसकी सुनिश्चितता की जाये।

विनोबा नगर क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण करने वाली 3 भैंसो को निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशन में पकड़ा जाकर भैंस मालिक संजय यादव पर 10 हजार का जुर्माना किया गया।

निरीक्षण के दौरान विनोबा नगर नाले के पास निर्मित सुविधाघर में दरवाजे नहीं होने की शिकायत नगरिकों द्वारा किये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने सुविधाघर में दरवाजे लगाने के निर्देश संबंधित को दिये। इसके अलावा विनोबा नगर उद्यान में भवन निर्माण सामग्री रखकर अतिक्रमण पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने भवन निर्माण सामग्री जब्त करने व उद्यान की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा को दिये।

इस अवसर पर झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े सहित वार्ड प्रभारी उपस्थित थे।

## *नगर निगम द्वारा सोमवार से वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन*

रतलाम 17 दिसम्बर । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1, 2 व 3 के लिये 20 से 21 दिसम्बर तक गांधीनगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 1, 2 व 3 के लिये 22 दिसम्बर को मालवा नगर लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 4, 5, 6, 8 व 13 के लिये 23 से 24 दिसम्बर तक अम्बे माता मंदिर जवाहर नगर, वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लिये 27 व 28 दिसम्बर को विनोबा नगर पानी की टंकी के पास, वार्ड क्रमांक 5, 6 व 7 के लिये 29 से 30 दिसम्बर तक अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, वार्ड क्रमांक 9 के लिये 31 दिसम्बर को तिरूपति नगर, वार्ड क्रमांक 8 के लिये 1 जनवरी को कोमल नगर मेन रोड, वार्ड क्रमांक 5, 7 व 9 के लिये 3 से 4 जनवरी को मार्निग स्टार स्कूल, वार्ड क्रमांक 12 के लिये 5 से 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक 12 के लिये 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 के लिये 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 के लिये 13 जनवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 14 जनवरी को राजेन्द्र नगर, वार्ड क्रमांक 14, 15, 46 व 48 के लिये 15 व 17 जनवरी को डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम

काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिये 18 जनवरी को वेदव्यास कालोनी, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 19 जनवरी को कल्याण नगर, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22, 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28, 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पींठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

## *17 दिसम्बर को 76 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा*

रतलाम 17 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 17 दिसम्बर शुक्रवार को 76 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

17 दिसम्बर शुक्रवार को डम्पर से 30165, टेक्टर से 13510, काम्पेक्टर सूखा कचरा 14920 व काम्पेक्टर गीला कचरा 17685 किलो इस तरह कुल 76280 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

# 6375 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

## *पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें*

रतलाम 17 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 17 दिसम्बर शुक्रवार तक 6375 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 63.75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

## *2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए*
## *स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित*

*पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें*

रतलाम 17 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 130 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

# *अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही*

## *15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल*

रतलाम 17 दिसम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

# *नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें*

रतलाम 17 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

*गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही*

रतलाम 17 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

*वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही*

रतलाम 17 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनान हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों का हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 17.12.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.